भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1297

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बिहार में आंगनवाड़ी-सह-शिशु गृह

1297. **श्री मनोज कुमार:**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 तक 17,000 आंगनवाड़ी सह-शिशु गृह खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) अब तक स्वीकृत आंगनवाड़ी-सह-शिशु गृहों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनमें से अब तक कितने आंगनवाड़ी-सह-शिशु गृह कार्यशील हुए हैं;

(ग) क्या इन सुविधाओं को आरंभ करने की प्रक्रिया, विशेषकर बिहार में धीमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि/वेतन बहुत कम है और यह अकुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन से भी कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा विशेषकर बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि/वेतन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे-केयर सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य उप-योजना के अंतर्गत पालना योजना शुरू की है।

महिलाओं हेतु शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार पर सरकार की निरंतर पहलों के परिणामस्वरूप उनके रोज़गार के अवसर बढ़े हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ घर के अंदर या बाहर काम करके लाभदायक रोज़गार प्राप्त कर रही हैं। उचित डे-केयर सेवाओं का अभाव अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकता है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में

सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। अब तक घरेलू काम का हिस्सा माने जाने वाले बच्चों की देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों को क्रेच सेवाएँ औपचारिक रूप देती हैं। देखभाल कार्य को औपचारिक रूप देने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास - को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को बल मिलता है। इससे अधिक माताएँ अवैतनिक बाल देखभाल की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

15वें वित्त आयोग के दौरान, 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ वार्षिक रूप से आयोजित होने वाली कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों को खोलने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पीएबी की बैठकों में, प्रस्तावित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों को अनुमोदित किया जाता है और अनुमोदित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों को कार्यशील बनाने पर जोर दिया जाता है। दिनांक 31.01.2026 तक, कुल 14,599 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है और उनमें से देश भर में 2820 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्र कार्यशील हैं। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्रों की सूची (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) अनुलग्नक में दी गई है।

वर्तमान में, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत-साझाकरण अनुपात के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 4,500 रुपये प्रति माह और 2,250 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल और सामाजिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

i. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे होते हों।
ii. 20 दिन की वार्षिक छुट्टी और 180 दिन की सवैतनिक मातृत्व अवकाश, गर्भपात/गर्भस्राव की स्थिति में एक बार 45 दिन का सवैतनिक अवकाश।
iii. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)

पेंशन योजना के तहत अपना नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें, जो देश के असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

iv. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु सहित) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया है।

v. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए "बिहार में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र" विषय पर दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1297 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्र	कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केन्द्र
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	7
2	आंध्र प्रदेश	108	0
3	अरुणाचल प्रदेश	86	43
4	असम	500	50
5	बिहार	504	85
6	चंडीगढ़	210	210
7	छत्तीसगढ़	1500	205
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	190	68
9	दिल्ली	502	502
10	गोवा	11	9
11	गुजरात	25	0
12	हरियाणा	628	290
13	हिमाचल प्रदेश	152	0
14	जम्मू और कश्मीर	317	0
15	झारखंड	1024	80
16	कर्नाटक	1664	248
17	केरल	504	129
18	लद्दाख	7	6
19	लक्षद्वीप	8	0
20	मध्य प्रदेश	448	0
21	महाराष्ट्र	345	0
22	मणिपुर	702	0
23	मेघालय	1238	84
24	मिजोरम	200	200
25	नागालैंड	500	270
26	ओडिशा	1000	0
27	पुदुच्चेरी	86	9
28	पंजाब	148	144
29	सिक्किम	25	25

30	तमिलनाडु	600	0
31	तेलंगाना	1033	8
32	त्रिपुरा	114	114
33	उत्तराखंड	202	34
34	पश्चिम बंगाल	10	0

पीएबी की बैठक के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

*****